

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक २९९ / 10-1 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त, २१ / 2024

सेवा में,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

विषय:— National Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है कि:—

“.....3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to 2 get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.....”

अतः उपरोक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट संलग्न कर सादर सूचनार्थ आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास योदव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
क

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक 736/10-1 दिनांक, गोरखपुर, अगस्त, 16/2024

**National Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित Original
Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment
Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में
जांच आख्या**

याची सुद्धू (Suddu) द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26.04.2024 को आदेश पारित किया गया है, (संलग्नक-1) जिसके अंश निम्नवत है -

".....In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araj No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

...3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-

mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.....”

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 के क्रम में प्रकरण की जांच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक 5524/10-1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा समिति की गठन किया गया है, (संलग्नक-2) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्न प्रकार है-

- | | |
|--|-----------|
| 1- सर्व श्री डॉ० हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर | - अध्यक्ष |
| 2- संतोष कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय वनाधिकारी, खजनी | - सदस्य |
| 3- अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां | - सदस्य |

समिति द्वारा प्रकरण की जांच के समय शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, मोहल्ला-लच्छीपुर खास, पोस्ट व थाना-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर, पिनकोड-273015 को दिनांक 24.05.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी संख्या-619, ग्राम-लच्छीपुर, तहसील-सदर, थाना-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर में शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर जांच में सहयोग प्रदान करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक-754/10-1 दिनांक 16.05.2024 से स्पीड पोस्ट दिनांक 18.05.2024 से सूचित किया गया (संलग्नक-3)। शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू, दिनांक 24.05.2024 को उपस्थित नहीं हुए, शिकायतकर्ता श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू को पुनः जांच में सहयोग करने हेतु दिनांक 03.07.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर (अध्यक्ष) अपने कार्यालय पत्रांक-868/10-1 दिनांक 25.06.2024 से स्पीड पोस्ट दिनांक 26.06.2024 से उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया (संलग्नक-4)। लेकिन श्री मेराज अहमद उर्फ सुड्डू जांच के समय उपस्थित नहीं हुए।

समिति द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु मौके पर स्थलीय निरीक्षण एवं प्रकरण की जांच दिनांक 24.05.2024 एवं 03.07.2024 को किया गया, एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण मुख्यालय रेंज में उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से किया गया जिसमें यह पाया गया कि -

श्री महबूब सईद पुत्र स्व०हामिद अली, ग्राम- छोटे काजीपुर, थाना-कोतवाली, तहसील-सदर, जिला गोरखपुर द्वारा सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास आराजी संख्या-619, ग्राम लच्छीपुर, तहसील-सदर, थाना-गोरखनाथ, जिला -गोरखपुर की भूमि पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन दिनांक 22.07.2023 को किया गया, जिसके विरुद्ध उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत किया गया (संलग्नक-5)। उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई-3 संख्या 13095/29

दिनांक 01.08.2023 से मु0-7000/- प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है (संलग्नक-6)।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या-619 ग्राम लच्छीपुर, तहसील-सदर, थाना-गोरखनाथ, जिला -गोरखपुर में स्थित बेल-01, सागौन-01 एवं आम-03, कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु विभाग को आवेदन किया गया था (संलग्नक-7)। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता की जांच हेतु क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय रेंज के पत्रांक 68/31-1 दिनांक 01.10.2023 के द्वारा अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर को पत्र लिखकर जांच करायी गयी। (संलग्नक-8) तदोपरान्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर ने अपने पत्रांक 1291/फलदायी क्षमता/2023-24/ दिनांक 09.10.2023 द्वारा फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता/जांच रिपोर्ट प्रेषित किया गया, (संलग्नक-9) जिसमें यह उल्लिखित किया है कि उक्त आराजी में स्थित वृक्षों की आयु लगभग 60-65 वर्ष है, जो सुखे, रोगग्रस्त हरे खड़े हैं, वृक्षों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। तदोपरान्त श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या-619 में स्थित बेल-01, सागौन-01 एवं आम-03, कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए विभाग से पातन परमिट सं0 6587240 दिनांक 25.10.2023 जारी किया है (संलग्नक-10)।

जारी किये गये उक्त पातन परमिट में कटान हेतु अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-02, सागौन-02 व नीम-01, कुल-05 वृक्षों का अवैध पातन किया गया, जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज द्वारा रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है (संलग्नक-11). और क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय द्वारा ई-3 संख्या 13095/65 दिनांक 04.04.2024 से मु0-35000/- प्रतिकर की धनराशि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया गया है। (संलग्नक-12)

शिकायतकर्ता मेराज अहमद उर्फ सुड्डू द्वारा उ0प्र0 सरकार के जन सुनवायी पोर्टल पर शिकायत सं0 40018823042313 द्वारा शिकायत की गयी, (संलग्नक-13) जिसके सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक मेमो/16एफ-16 ए (जनसुनवायी) दिनांक 29.11.2023 द्वारा उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया है (संलग्नक-14)। जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक-105/31-1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।



श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या-619 में स्थित वृक्षों में से बेल-01, सागौन-01 एवं आम-03, कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक-1730/37-1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या-6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-02, सागौन-02 व नीम-01, कुल-05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-4/10 एवं 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केंस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5-संख्या-24/81-5-2020-07-93 लखनऊ 07-जनवरी-2020 (संलग्नक-15) में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात् छूट प्रजाति का वृक्ष है।

पुनः शिकायतकर्ता द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार को दिनांक 02.11.2023 को, एवं मा0 मंत्री वन एवं पर्यावरण, भारत सरकार, नई दिल्ली को दिनांक 29.12.2023 को पत्र के माध्यम से शिकायत किया गया है (संलग्नक-16)। उक्त शिकायत का निस्तारण किया गया (संलग्नक-17) जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूंकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक-200/31-1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया

गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार है:-

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरुद्ध उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या-619 में स्थित बेल-01, सागौन-01 एवं आम-03, कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक-1730/37-1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या-6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-02, सागौन-02 व नीम-01, कुल-05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरुद्ध उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5-संख्या-24/81-5-2020-07-93 लखनऊ 07-जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरूद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात् छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूंकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया है अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।



समिति की जाँच में पाया गया कि उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5-संख्या-24/81-5-2020-07-93 लखनऊ 07-जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं० 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है। अतः समिति की जांच आख्या प्रेषित है।

जांच आख्या

उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5-संख्या-24/81-5-2020-07-93 लखनऊ 07-जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है अथवा उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। छूट प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त आराजी सं० 619 में स्थित वृक्षों के लिये ली गयी पातन परमिट के अतिरिक्त अवैध काटे गये वृक्षों के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गयी है।

भवदीय

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

Item No. 06

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 486/2024

Suddu

Applicant

Versus

Ministry of Environment Forest and Climate Change

Respondent

Date of hearing: 26.04.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER****ORDER**

1. In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for

get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.

4. The OA is accordingly disposed of.
5. A copy of this order be forwarded to the Divisional Forest Officer, Gorakhpur by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 26, 2024
Original Application No. 486/2024
DV

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक ५५२५/१०-१ दिनांक, गोरखपुर, मई १५ /२०२४

Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित
Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of
Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के
सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति का गठन

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment Forest And Climate Change में आदेश दिनांक 26.04.2024 पारित किया गया है, जो निम्न प्रकार है-

".....In this original application, grievance of the Applicant is that there was a garden in two acres of land at Araji No. 619, Khata No. 716 situated at Chandra Petrol Pump, Sonoli Road, Police Station Gorakhnath, Tehsil Sadar, District Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is alleged that the legal heirs of the original owner had entered into an agreement with a builder Vikas Kejriwal and the legal heirs along with builder in collusion with the Officers of the Forest Department and Police Officers have cut the fruit bearing green trees illegally and when the Applicant had tried to resist, he and his family members were harassed. It is further alleged that 75 fruit bearing guava trees were illegally destroyed/cut by using bulldozer on 28.03.2024 and a complaint was made to the authorities but no action has been taken. Along with OA, photographs of trees which were cut have been enclosed.

2. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

3. To ascertain the truthfulness of the allegations and also for appropriate action, we direct the Divisional Forest Officer, Gorakhpur to get the factual report and take action against the violators, if required, after duly following the principles of natural justice. The action taken report will be submitted by the DFO, Gorakhpur before the Registrar General of the Tribunal within four months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support

PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.....”

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 26.04.2024 जो इस कार्यालय को दिनांक 03.05.2024 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1- सर्व श्री डॉ० हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर | - अध्यक्ष |
| 2- ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल | - सदस्य |
| 3- अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां | - सदस्य |

उपरोक्त गठित समिति के अध्यक्ष व समस्त सदस्यगण संलग्न आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में जांच कर अपनी जांच आख्या मय साक्ष्य हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 25.05.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्मरण रहें, उक्त प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसे ससमय निस्तारण करना अति आवश्यक है, अतएवं इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

संख्या: 5524 अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सर्व श्री डॉ० हरेन्द्र सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
2. ओम प्रकाश सिंह, क्षेत्रीय वनाधिकारी परतावल
3. अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक 150 /10-1 दिनांक, गोरखपुर, जुलाई, 08 /2024

सेवा में,

श्री संतोष कुमार पाण्डेय,
क्षेत्रीय वनाधिकारी, खजनी,
गोरखपुर।

विषय:- Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में
योजित Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of
Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024
के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच करने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-5524/10-1 दिनांक 14.05.2024
उपरोक्त विषयगत प्रकरण में एन0जी0टी0 से सम्बन्धित प्रकरण की जांच करने हेतु इस
कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार समिति का गठन किया गया है:-

- | | | |
|----|--|---------|
| 1- | सर्वश्री डा0 हरेन्द्र सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर। | अध्यक्ष |
| 2- | ओम प्रकाश सिंह, वर्तमान में सेवा निवृत्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल | सदस्य |
| 3- | अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां | सदस्य |
- श्री ओम प्रकाश सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी, वर्तमान में सेवा में निवृत्त हो जाने के कारण
उपरोक्त समिति के सदस्य के रूप में आपको नामित किया जाता है।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

संख्या 150 अ/दिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर।
- 2-क्षेत्रीय वनाधिकारी, सहजनवां।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर।

10/23

दिल्ली-23

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक 754 / 10-1 दिनांक, गोरखपुर, मई, 16 / 2024

सेवा में,

मेराज अहमद उर्फ सुद्धू,
मोहल्ला-लक्ष्मीपुर खास,
थाना-गोरखनाथ,
तहसील-सदर,
जिला-गोरखपुर।
मो०नं०-9415304215

विषय:- Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित
Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of
Environment Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024
के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024

उपरोक्त विषयक वाद आपके द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल
किया गया है। विषयगत प्रकरण की जांच हेतु प्रभाग स्तर पर समिति का गठन किया गया है। उक्त
प्रकरण में सत्यता की जांच हेतु आपका उपस्थित होना आवश्यक है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 24/05/2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
गोरखपुर सोनौली मार्ग पर स्थित चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित आराजी सं० 619, ग्राम लच्छीपुर,
तहसील-सदर, थाना-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर में आप द्वारा की गयी शिकायत से सम्बन्धित
साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर उक्त जांच में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० हरेन्द्र सिंह)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग,
गोरखपुर



कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक ०६० / 10-1 दिनांक, गोरखपुर, जून, २५ / 2024

सेवा में,

श्री मेराज अहमद उर्फ सुद्धू,
मोहल्ला-लच्छीपुर खास,
पोस्ट-गोरखनाथ,
थाना-गोरथनाथ,
जिला-गोरखपुर।
पिन कोड-273015

विषय:-

Before the national Green Tribunal Principal Bench New Delhi में योजित
Original Application No. 486/2024 Suddu Versus Ministry of Environment
Forest And Climate Change में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

इस कार्यालय का पत्रांक-754 / 10-1 दिनांक 16.05.2024

गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित ग्राम-लच्छीपुर के आराजी संख्या-619 में वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयक वाद आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दाखिल किया गया है। उक्त प्रकरण की जांच प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक-5524 / 10-1 दिनांक 14.05.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रकरण की जांच हेतु दिनांक 24.05.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित बैठक में साक्ष्य सहित उपस्थित होने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-754 / 10-1 दिनांक 16.05.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से आपको सूचित किया गया था, लेकिन किसी कारणो से आप उपस्थित नहीं हुए।

पुनः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 02/07/2024 को पूर्वान्ह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में पुनः समिति की बैठक आयोजित की गयी है। आप जांच में सहयोग करने हेतु शिकायत से सम्बन्धित साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपरोक्त निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।



(डा0 हरेन्द्र सिंह)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या

०६०

अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-1-प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-क्षेत्रीय वनाधिकारी, परतावल, सहजनवां एवं मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि आप लोग भी समिति की बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



(डा0 हरेन्द्र सिंह)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर

भारतीय डाक
E1388659898IN IVR:6965388659898
SP HEC GORAKHPUR RMC (273012)
Counter No:1,26/06/2024,21:35 India Post
To:MEERAJ AHMAD,LACHHIPUR
PIN:273015, Gorakhnath Mandir SO
From:UP PRABHAGIYA VAN ,GKP
Wt:18gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
(Track on www.indiapost.gov.in) <
(Dial 18002666868). (Wear Masks, Stay Safe)

संलग्नक - 06

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, 30900

आयुक्त निगम

बुक नं० 13095

प्रभाग

Q.N 01/08/23

नं० 29

दिनांक 01/08/2023

श्री एडव. सुज चौह. एम.ए. काठगढ़ (गोरखपुर) से
आयुक्त निगम पर शालीक प्र. को भेजा गया।
प्राप्त किया।

जबत Mr. Sunil Choudhary, Food Inspector (Q.N.)
Gorakhpur, Distt Gorakhpur (U.P.) से 01/08/2023-24
दिनांक 01/08/2023 पर प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

(Gorakhpur (U.P.))
पद नाम
मुख्यालय में
गोरखपुर का प्रभाग, गोरखपुर

2. मैं/हम वृक्षों को गिराने के तुरन्त पश्चात आने वाली वर्षा ऋतु की समाप्ति से पूर्व.....
प्रजाति सं०..... के वृक्षों का रोपण और संरक्षण करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।
3. मैं/ हम उपर्युक्त वृक्ष (वृक्षों) को गिराऊंगा और हटाऊंगा/गिरायेँगे और हटायेँगे या मैं/ हम श्री.....
पुत्र श्री..... निवासी ग्राम.....
डाक..... तहसील..... जिला.....
उपर्युक्त वृक्ष/वृक्षों को गिराने और हटाने के लिए अधिकृत करूँगा/ करेंगे जिसके लिए नोटरी द्वारा सत्यापित.....
रूपये के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र इसके साथ संलग्न है।
4. मैं/हम प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के लिए दो पौधों के रोपण और पश्चातवर्ती देख-रेख की प्रतिभूति स्वरूप प्रति पौधा 1200/-
रूपये की दर से..... रूपये डाकघर बचत बैंक पासबुक/ राष्ट्रीय बचत पत्र, जो सक्षम
प्राधिकरण के पदनाम से गिरवी रखी गयी है, संलग्न करता हूँ/ करते हैं।
5. मैं/हम वृक्ष को गिराने या आवेदन की अस्वीकृत के सम्बन्ध में रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय का
पत्र व्यवहार करने के लिए अपना पता युक्त स्थापित लिफाफा संलग्न करता हूँ/ करते हैं।
6. मैंने/हमने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करूँगा/करेंगे।
7. मैं/ हम सत्यापित करता हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं।
8. अनुरोध है कि उपर्युक्त वृक्ष/ वृक्षों को गिराने / हटाने की सिफारिश इस आवेदन पत्र के भाग-दो में विहित प्रपत्र में सक्षम
प्राधिकारी को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-

1. प्रतिभूति के रूप में डाकघर बचत पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र (मूल रूप में) ।

2. अपना पता युक्त और स्थापित रसीदी रजिस्ट्री डाक का लिफाफा।

3. मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नौटरी द्वारा सत्यापित मुखारनामा (यदि लागू हो)

आवेदक का हस्ताक्षर.....

नाम.....

निवासी ग्राम..... डाक.....

तहसील..... थाना.....

जिला.....

पिन कोड.....

① -

② - T. Sayad

③ - आरिफ सईद

दिनांक 1.10.2023

स्थान.....

टिप्पणी-

1. वन विभाग से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र ही मान्य होगा। फोटो प्रतियां स्वीकार नहीं होंगे।
2. अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

MO/NO-9721065463

हस्ताक्षर प्रमाणित

नर-53
पत्र

अनुलग्नक एक (भाग-दो)

जाँच रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम (यथा संशोधित) 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी-निदेशक/ जिला उद्यान अधिकारी / मुख्य निकास अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)..... जिला..... 30 प्र०।

आवश्यक जाँच करने के पश्चात मैं अधोहस्ताक्षरी, सत्यापित करता हूँ कि आवेदक

श्री..... मदनलाल सिंह..... पुत्र श्री..... रामप्रसाद शर्मा..... निवासी ग्राम..... छोटे काजीपुर.....
डाक..... सरा..... थाना..... कोतवाली..... तहसील..... सरा..... जिला..... रोहतास.....

ने आवेदन पत्र (भाग) में सही और सूचना दी है। मैंने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के उपबन्धों को पढ़ लिया है, और उक्त वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने की अनुज्ञा जारी करने से अधिनियम का उल्लंघन नहीं होगा।

या

आवश्यक जाँच करने के पश्चात मेरी राय है कि ऊपर उल्लिखित आवेदक द्वारा प्रस्तुत गिराने की अनुज्ञा का आवेदन, निम्नलिखित आधार (आधारों) पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

- 1.
- 2.

उपर्युक्त रिपोर्ट के साथ आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जाता है।

हस्ताक्षर 

नाम नरेन्द्र कुमार

पद नाम वनरक्षक

सेक्शन / रेंज का नाम मुरब्यालय

मुहर

दिनांक 1-10-2023

स्थान

टिप्पणी-

1. उपर्युक्त सिफारिश उपर्युक्त विहित निदर्शनपत्र में ही विधि मान्य होगी।
2. जाँच अधिकारी आवश्यक विधिक कार्यवाही का दायी होगा यदि वह गलत/ असत्य सिफारिश प्रस्तुत करता है।
3. कृपया जो प्रयोज्य न हों उसे काट दीजिए।

उद्घरण खतौनी

उद्घरण क्रमांक : 21736320210157

ग्राम क्रमांक	217363	ग्राम का नाम / परगना :	लच्छीपुर (इबेली)	तहसील :	सदर	जनपद :	मोरछपुर	फसली वर्ष :	1423-1428	भाग :	1
क्रमांक	उत्प्रेषण का नाम / पित्त पति सारथक का नाम / निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खारा के प्रत्येक गाटे की खजरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	उत्प्रेषण द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी अग्रज या उत्तका सारांस उमकी संख्या तथा दिनांक सहित और अग्रज देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी				
1	2	3	4	5	6	7-12	13				

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सरकारीय भूमिधरो के अधिकार में हो।


01899	हामिदअली / साजिद अली / तारिक सईद / हामिदअली / आसिक सईद / हामिदअली / महबुब सईद / हामिदअली / सा.काजीपुर खुर्द श्रीमती तदान फातिमा / हामिद अली फती सल्लिक-इरफान / मि.गांधीनगर गहर बस्ती	पू1360क	619मि.	0.9640		आस0 सी0 9 स0 नि0 बरादवा काद सं0 2020518800950002163/10.12.2020 खत सं0 676 व 1899 व 1897 व 1900 व 1898 से प्रारम्भ मुहम्मद हामिद अली पुत्र मुहम्मद साजिद अली के स्थान पर अजीज फातमा पत्नी मुहम्मद हामिद अली व सलक फातिमा पुत्री मुहम्मद हामिद अली पत्नी टी0आई0 रहमान (विवाहित पुत्री) व मोहम्मद तारिक सईद व आसिक सईद व महबुब सईद पुत्रस्य मोहम्मद हामिद अली का नाम धरौर करिसे दर्ज हो।	
			1	0.9640	₹ 23.80	1	0


भूत गाटे - एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नौ छः चार शून्य (द्वैवदेयर) कुल भू-राजस्व - दो तीन दशमलव अठार शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: UMESH DWIVEDI

उत्प्रेषण खतौनी का वैधिकीकरण <http://upbhulekh.gov.in> Website पर साकर क्रिय या करद है।

सक्षम अधिकारी: DHANUSHDHARI SINGH
 तहसील: सदर जनपद: मोरछपुर
 दिनांक एवं समय: 13-01-2021 04:28:08
 यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक विधिविधि सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा सारा डिजिटल इन्कायर द्वारा प्रसत्यापित है।






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 909166

समक्ष- प्रभागीय बनाधिकारी महोदय, गोरखपुर



1. यह कि शपथ पत्र मिनजानिब महबूब शहीद पुत्र स्व० हामीद अली निवासी छोटे काजीपुर पो० सदर तहसील सदर जिला गोरखपुर के खातेदार है।
2. यह कि उपरोक्त का नाम व पता सही सत्य है।
3. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता हूँ कि शपथकर्ता अपनी नीजी भूमि में गाटा सं०-619 मि० रकबा 0.964हे० ग्राम लच्छीपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में अपने जमीन में आम तथा अन्य वृक्ष है जिसे कटवाकर शपथकर्ता मकान बनवायेगा। जिसमे बाग मे तीन पेड़ आम, एक पेड़ बेल व एक पेड़ सागवान को कटवाना चाहता है। उक्त पेड़ों का स्वामित्व हम शपथकर्ता है।
4. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता हूँ व कसम खाता है कि शपथकर्ता परमिट के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ नहीं काटेगा तथा वन विभाग के नियम एवं शर्तों का पालन करेगा।
5. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उक्त पेड़ के पातन परमिट लेने पर आपस में कोई विवाद नहीं है यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह पर स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. यह कि शपथकर्ता बहलफ बयान करता है व कसम खाता है कि उपरोक्त पैरा 1 से 5 तक शपथपत्र सही व सत्य है इसमें कोई बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक —

शपथकर्ता

(महबूब शहीद)

महबूब सईद

AMITABH TRIPATHI
NOTARY
H.Q. GORAKHPUR

दि 30-9-23 महबूब शहीद शं हमीद अहम नि खैर मजीदपुर, गो.



महबूब साइद


Identified the Hook Sig. B Hdn.

30-9-23

No. 3032 - 30/9/23
Solemnly Affirmed before me on
at Ghazipur, Shree Mahabub Said
The deponent who is identified by
Shri. Mariuma Hashmi
I have satisfied my self by examining
the deponent that he/she understand
the contents of this affidavit which has
been read over and Explained to me.

[Signature]
AMITABH TRIPATHI
NOTARY
H. Q. GHAZIPUR

702



3



10/10/2011
3-10-2011
(Corr for 2)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

मान्य अनुदेश

। के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनदेन का रिकार्ड है
।ये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा

। का यह कर्तव्य होगा कि वह पासबुक में दर्शाये शेष की पुष्टि
।त डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड में दर्शाई जाने वाली
।स्तिक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
।किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से
।उसकी पावती हनैशा लें।

- 4) पासबुक को हमेशा अपनी निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 5) पासबुक में कही पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
- 6) लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच करें और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।
- 7) पासबुक गुप्त होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।
- 8) यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
- 9) प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (बैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
- 10) अपने खाते से पैसे की निकाली के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संश्लेषाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

कृपया पासबुक न मॉडें।

<https://www.indiapost.gov.in/Financial/Pages/Content/Post-office-Saving-Schemes.aspx>
and details are available at <https://www.indiapost.gov.in/AS/Pages/RTI/RTI-Manual-5.aspx>

Pledge to DPO Certificate

(Handwritten signature)

NSC VILL Kanne
 SOLID/NAME: 27300100/27300100
 LEG Code : 1866000000
 Account No: 00000015724
 (CIF (S)) / Depositor (S) Name :
 1: 364916516 / HANBHOJ LAKSH
 2:
 3:
 Depositor (S) Address :
 1. C/O. KHUSHI SHARMA SHARMA SHARMA SHARMA
 2:
 3:
 (CORRESPONDENT BANK NUMBER) 273001
 Account Open Date : 30-10-2023
 Mode of Operation : STDF
 Nomination : Yes
 Deposit Amount (IN Rs.) : 5400
 (Purchase Price (Rupees)) :
 Maturity Date : 20-10-2028
 Maturity Amount (IN Rs.) : 7245
 (Purchase Price (Rupees) Through Direct Debit)
 Through Debit :
 Signature of Depositor :
 Date : 27/10/2023
 Stamp : 273001

कार्यालय - क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय, वन प्रभाग, गौशेखर
पत्रांक - 68 / 31-1, दिनांक, मुख्यालय, आश्विन (-0) / 2023

श्रीमान्,
अधीनस्थ
प्रदेशीय उद्यान, गौशेखर

विषय - जहाँ महबूब खर्क पुत्र जहाँ हासिफ आली, तिवारी, कौटुम्बिक -
पुल, थाना - कोतवाली, गौशेखर के आश्रित के सम्बन्ध में।

महोदय,
जहाँ महबूब खर्क पुत्र जहाँ हासिफ आली, तिवारी, कौटुम्बिक -
कौटुम्बिक - पुल, थाना - कोतवाली, तिवारी - गौशेखर का अपठे प्रत्यक्ष ग्राम -
लच्छीपुल, थाना - गौशेखर, गौशेखर में आपकी संख्या - 619 में से
शिवर लामोठ हा. 01, बेल हा. 01 व आम हा. 03 कुल - 05 प्रती
को कटवाते के लिए पान अनुका हेतु विद्यमान प्राय में आश्रित
किया गया है।

आश्रित जल प्रत्यक्ष आश्रित, (कोतवाली), प्रेषण व शिपय पर
संलग्नक का इस आशय से आपको भेजा जा रहा है कि उक्त
आश्रित में वर्तित कल कपी प्रकाश व आम के कल कपी शिपय
के सम्बन्ध में अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध
करते का कर कर्ते।

— महदीय
[Signature]

संख्या / दिनांक
प्रतिष्ठित - जहाँ महबूब खर्क पुत्र जहाँ हासिफ आली तिवारी - कौटुम्बिक -
कौटुम्बिक - पुल, थाना - कोतवाली, गौशेखर को उपना
शिवर।

[Signature]
[Stamp]

संलग्नक 09

प्रेषक,

अधीक्षक
राजकीय उद्यान
गोरखपुर।

सेवा में,

कार्यालय क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुख्यालय रेज, वन प्रभाग
गोरखपुर।

पत्रांक.....1291...../फलदायी क्षमता/2023-24/दिनांक.....09.10.2023

विषय:- आम वृक्ष के फलदायी क्षमता /जॉच रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,


आपके पत्रांक सं० 68/31-1 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में श्री महबूब सईद पुत्र श्री हामिद अली, निवासी-छोटे काजीपुर, पोस्ट-सदर, थाना-कोतवाली, जनपद-गोरखपुर अपने राजस्व ग्राम लच्छीपुर, थाना-गोरखनाथ गोरखपुर द्वारा अपने निजी भूमि के अराजी सं०-619 मि० में स्थित 03 आम वृक्ष एवं 01 बेल वृक्ष का निरीक्षण दिनांक 07.10.2023 को मौके के पर जाकर श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी' उद्यान निरीक्षक' (वर्ग-2) द्वारा किया गया। जिसमें वृक्षों की आयु लगभग 60-65 वर्ष है। जो सूखे रोगग्रस्त हरे खड़े हैं। वृक्षों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसे देखने प्रतीत होता है कि वृक्षों में फलदायी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार जॉच आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय


अधीक्षक

राजकीय उद्यान
गोरखपुर



वृक्ष गिराने का अनुज्ञा पत्र

(शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग -2488/14-5-2002-7/93 दिनांक 28/12/2002)

अधिनियम की धारा 5(4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित) प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग, 6587240 संख्या दिनांक 25/10/2023

वेवा में ,

क्षेत्र: ग्रामीण

श्री/श्रीमती/कुमारी Mahboob Sayeed पत्नी/पुत्र/पुत्री Mohd. Hamid Ali जिला: गोरखपुर
 श्री:
 तहसील: SADAR परगना: Haveli थाना: Kotwali
 डाक: Sadar ग्राम सभा: Chhote Kazipur गांव: Chhote Kazipur

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा -5 के अधीन वृक्ष (वृक्षों) को गिराने के लिए अनुज्ञा पत्र गिराये जाने के सम्बन्ध में आपके आवेदन दिनांक 21/10/2023 और जाँच अधिकारी की सिफारिश के आधार पर वृक्ष / वृक्षों को गिराने / हटाने के लिए नीचे दिए गये वेवरण के अनुसार अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	प्रजाति का नाम	132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि(से.मी. में)	वृक्ष को गिराने का कारण	वन-दरोगा द्वारा दिया गया 132 से.मी. की ऊंचाई पर वृक्ष की गोलाई/परिधि (से.मी.)	वन-दरोगा द्वारा दिया गया वृक्ष को गिराने का कारण
1	बेल	263	मकान निर्माण में बाधक	263	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
2	सागौन	150	हरा खड़ा परिपक्व/समुपयोज्य व्यास प्राप्त	150	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
3	आम	190	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	190	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
4	आम	208	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	208	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है
5	आम	245	पुराने, फलहीन, रोगग्रस्त	245	समुप्योज दर्जा व्यास प्राप्त कर लिया है

एन एस सी 020090215725

डाकघर का नाम Pradhan Dakghar, GKP

राशि :

5000.00

संख्या:

उपयुक्त वृक्ष श्री Mahboob Sayeed पुत्र श्री Mohd. Hamid Ali के नाम से अभिलिखित प्लॉट संख्या 619 रकवा 0.964 जिला गोरखपुर तहसील SADAR परगना Haveli ग्राम सभा Lachhipur थाना Gorakhnath गांव Lachhipur डाक Gorakhnath में स्थित है ।



1. आवेदक ने प्रत्येक गिरे हुए वृक्ष के स्थान पर दस पौधे रोपित करने और उनकी पश्चातवर्ती देख-रेख के लिए डाक घर बचत पास बुक / राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रति पौधे 1 0 0 0/- र० सक्षम प्राधिकारी को पदनाम से गिरवी रखी गयी प्रतिभूति की धनराशि उक्त पौधों की स्थापना पर छः वर्ष के पश्चात् वापस कर दी जाएगी। कटान अवधि में कटान स्थल पर उपस्थित मुहर्नर का दैनिक पारिश्रामिक :
2. जिस दिन से कटान शुरू होगी, अनुज्ञा धारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह पातन प्रारंभ करने से पूर्व सम्बंधित वन क्षेत्राधिकारी को जिस तिथि से पातन पत्र जारी हो रहा है वह सूचना करेगा ताकि शासनादेश संख्या ४३४ के प्रस्तर दिए गये निर्देशों की वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुरक्षित किया जा सके।
3. सेक्शन अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार धनराशि जमा करा के आवेदक को पातन अनुज्ञा की प्रति हस्तगत कराये एवं अनुपालन आख्या से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को अवगत करा दें।
4. अनुमति शुल्क की राशि 100 रुपया प्रति वृक्ष रेंज कार्यालय में जमा कराये।

5. इस पातन अनुज्ञा हेतु सम्बंधित क्षेत्र के सेक्शन अधिकारी पातन अनुज्ञा अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, जो कि शासनादेश संख्या 434/14-5-2013 दिनांक 11/03/2013 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे। वन रजिस्ट्रेशन शुल्क ३.१५/- की ई 3 रकम जारी करें।
6. यह पातन अनुज्ञा पत्र दिनांक 27/10/2023 से 04/11/2023 तक विधिमान्य होगा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक/ प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर
 संख्या. 6587240 दिनांक: 25/10/2023 पत्रांक: 1730/37-1
 प्रभागीय वनाधिकारी
 गोरखपुर वन प्रभाग
 गोरखपुर

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी / गोरखपुर
2. वन क्षेत्राधिकारी मुख्यालय ...जिला गोरखपुर
3. थानाध्यक्ष Gorakhnath जिला गोरखपुर
4. उपजिलाधिकारी SADAR....जिला गोरखपुर
5. प्रभारी सुरक्षा बल गोरखपुर...जिला गोरखपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
 प्रभागीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग
 गोरखपुर वन प्रभाग
 गोरखपुर

शुद्ध किया

महकुल सिंह

१८

वन विभाग उत्तर प्रदेश
पूर्वी वृत्त-गोरखपुर

दस्तावेज नं० 11

वन प्रभाग-गोरखपुर

वन अपराध- 30 प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 को धारा 4110 व 3198

रिपोर्ट नं० दिनांक 13-11-2023 रेंज मुख्यालय बीट गोरखपुर

रेंज केस संख्या

09/2023 - 2024

20

1- अभियुक्तों के नाम, पिता के नाम तथा पता :
① उस्ताम स/0 मजीद गांव - जंगलवाड़ा
धाना - चिलुआतल जिला - गोरखपुर
② मो० सईद स/0 मो० हमीद अली, गांव -
छाते कानीपुर, धाना - कोतवाली, गोरखपुर

2- गवाहों के नाम आत्मज तथा पता
① श्री वीरबल निषाद (वाहन चालक) मुख्यालय रेंज
② श्री राजकुमार वर्मा (चौकीदार) मुख्यालय रेंज
③ स्वयं (नरेंद्र कुमार) 0020

3- कथित अपराधों का पूरा विवरण
गांव लच्छीपुर में मो० सईद स/0 मो० हमीद अली के द्वारा
संख्या 619 संख्या 0.964 जिला गोरखपुर में स्थित
आम हरा ① वृक्ष ② सगेज ③ वृक्ष खव गीरे ④ वृक्ष का
अच्छे पतन करके प्रकाष्ठ को गणित करने का स्थल
आम प्रकाष्ठ को गणित किया गया।

क्र० सं०	प्रजाति	कुल गण
1	सगेज	0.98 ती० मो० के प्रकाष्ठ गणित
2	सगेज	0.93 ती० मो० के प्रकाष्ठ गणित
3	नीम	0.89 ती० मो० के प्रकाष्ठ गणित

आम हरा ① 1.23 x 1.85 ② 1.35 x 1.60 ③ 1.30 x 1.45 ④ 1.39 x 1.40 ⑤ 1.75 x 1.05
⑥ 1.00 x 1.00

4- अपराध के समय यदि अपराधी को कोई
समान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो
तो उसका विवरण
महोदय

5- कुल हानि का मूल्यांकन
आज दिनांक 13-11-2023 को संपन्न लगभग 10 वृक्षों का
मो० 100 ② में वृक्षों का हानि का मूल्यांकन किया गया।
गोरखपुर जिला गोरखपुर के मो० सईद स/0 मो० हमीद अली
के द्वारा पतन परीक्षण संख्या 6587900 दिनांक 05-10-2023 को
किया गया।

6- बरामद की गई लकड़ियों का विवरण
एवं रखने का स्थान
वृक्ष आम ① सगेज ② नीम ③ अछूत पतन पाया गया मो० के
प्रमाण के ④ वृक्ष रखे गये, अखिल जंगल वृक्ष का हानि का
पता चला-नीम 0 ⑤ में वृक्षों का अक्षय्यता द्वारा
हानि को काटकर प्रकाष्ठ को गणित कर दिया गया।
आम के ⑥ वृक्ष का हानि का मूल्यांकन कर संरक्षा को दृष्टि
रखा है वरना आम के वृक्षों को श्री वीरबल निषाद स/0

7- चालान एवं जांच के सम्बन्ध में विशेष कथन
मोहरी निवासी - गांव मोहरीपुर धाना -
चिलुआतल जिला - गोरखपुर को सुपुर्गी में दिया
गया।

अतः रिपोर्ट सूचना में प्रेषित है।

(नरेंद्र कुमार)
केस काटने वाले का हस्ताक्षर
पद 0020

संलग्नक - 12

गोरखपुर जंगल

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, 30900

E-3 बुक नं० 3095

गोरख नं०

65

वन प्रभाग

दिनांक

04/04/2024

श्री

श्री 016 वॉर्ड पुत्र श्री (04/04/24) दिनांक 04/04/2024

रुपया

35000/- (छब्बे बीस हजार मात्र) प्राप्त किया।

दाता

श्री 016 वॉर्ड पुत्र श्री (04/04/24)

दिनांक

04/04/2024

प्राप्तकर्ता

हनुमान प्रसाद

क्षेत्रीय वनाधिकारी

मुख्यालय रेंज

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

04/04/2024

दस्तावेज विवरण:

नाम: MERAJ AHMAD

पिता/पति का नाम: MANAUWAR

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9415304215

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: ---

पता: वार्ड - राजेन्द्र नगर पश्चिमी, टाउन - गोरखपुर, जिला - गोरखपुर

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: CM MAHODAY KO SUCHANARTH EAVAM VIDHIK KARWAHI HETU PRESHIT

संदर्भ दिनांक: 02-11-2023

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है
तो):

विभाग: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सन्दर्भ श्रेणी: जंगल/लकड़ी का अवैध कटान

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता:

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र. स. कार	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आ देश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	02-11-2023	02-12-2023	प्रभागीय वन अधिकारी-गोरखपुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		अनमार्क

R.O मुख्यालय

जॉन्च कर आख्या तत्काल प्रेषित करे

उपस्थित नमस्कार
गोरखपुर नगरपालिका
गोरखपुर

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

विषय: वन विभाग के बिना परमीशन के अवैध कटान किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि थाना-गोरखनाथ, सोनौली रोड, चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व० हामिद अली पुत्र स्व० साजिद अली जी का बागीचा है जिसमें 75 पेड़ अमरूद, 17 पेड़ आम, 3 पेड़ लीची, 1 पेड़ पंजाला व शरीफा व 16 पेड़ सागौन, एक पेड़ नारियल, व 04, बेल का पेड़, एक पेड़ चीकू व नीम व बड़ा नीबू व कटहल का तीन पेड़, शीशम 3 पेड़ है। जिसका गोरखपुर वन विभाग से शिकायत होने पर वन दरोगा द्वारा रोक दिया गया और उसमें 5 पेड़ का परमीशन लेकर पेड़ों की कटाई कराई गई है, जो खसरा बना हुआ है, उसमें पेड़ों की गिनती कम दर्शाया गया है। प्रार्थी यह जानना चाहता है कि वन विभाग कितने पेड़ों का परमीशन दिया है, व जितने पेड़ कटे हैं, उन्हें मिट्टी से ढंक दिया गया है। पूर्व में कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।

अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि गोरखपुर वन विभाग के डी०एफ०ओ० श्री विकास यादव जी से इसकी आख्या लेते हुए पेड़ों की गिनती करा ली जाए व दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराने की कृपा प्रदान करें।

प्रार्थी

मेराज अहमद

(मेराज अहमद)

दिनांक: 02.11.2023

मो०-9415304215

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक गेभों / 18एफ-16ए (जनसुनवाई) दिनांक, गोरखपुर, नवम्बर, 29/2023

office Phone/Fax No. 0551-2333108 E-Mail ID- dfgorakhpur@yahoo.co.in

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश

संदर्भ संख्या-40018823042313

श्री मेराज अहमद जी के शिकायती पत्र की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक-105/31-1 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक श्री मेराज अहमद द्वारा अपने आवेदन में गोरखपुर सोनीली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के वाग में अवैध घातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, जांच के क्रम में मौके की जांच किया गया, इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध घातन हुआ था, जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या-619 में स्थित वृक्षों में से बेल-01, सागौन-01 एवं आम-03, कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए घातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक-1730/37-1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या-6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा घातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-02, सागौन-02 व नीम-01, कुल-05 वृक्षों का अवैध घातन कराया गया जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-4/10 एवं 03/23 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु घातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध घातन काए घाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं फलवायु परिवर्तन अनुभाग-5-संख्या-24/81-5-2020-07-93 संलग्नक 07-जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त घातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों को अवैध घातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरुद, लीची, पंजाजा, चरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात् छूट प्रजाति का वृक्ष है।

प्रभागीय-प्रशाधिकारी
गोरखपुर वन-प्रभाग/गोरखपुर।

क्रम-संख्या-3



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल
डब्ल्यू०/एन०पी०-९१/२०१४-१६
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार 7 जनवरी, 2020

षोडश 17, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5

संख्या 24/81-5-2020-07-93

लखनऊ, 7 जनवरी, 2020

अधिसूचना

प०आ०-२

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 21 एवं 23 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2270/14-5-2017-07-93 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्षों को निषेधित किये जाने का प्रतिषेध करती हैं :-

(1) आम (देशी/तुकमी), (2) नीम, (3) साल, (4) महुआ, (5) बीजासाल, (6) पीपल, (7) बरगद, (8) गूलर, (9) पाकड़, (10) अर्जुन, (11) पलाश, (12) बेल, (13) चिरौजी, (14) खिरनी, (15) कैंधा, (16) इमली, (17) जामुन, (18) असना, (19) कुसुम, (20) रीठा, (21) गिलावा, (22) तून, (23) सलई, (24) हल्दी, (25) बाकली/करघई, (26) धौ, (27) खैर, (28) शीशम एवं (29) सागौन और व्यक्तिगत कृषित या अकृषित धृति पर स्थित अन्य प्रजातियों को छूट प्रदान करती हैं।

2-प्रतिषिद्ध प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- वृक्ष सूख गया हो या सूख रहा हो या क्षति या सम्पत्ति के लिये खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका निपातन किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि उसकी फलदायी क्षमता सारभूत रूप से क्षीण हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निपातित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, के सिवाय निपातित नहीं किये जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उत्तर प्रदेश, जैसा और जब अपेक्षित हो, समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकता है।

उत्तर प्रदेश वन विभाग, लखनऊ, 7 जनवरी 2020

3-निषेधित किये जाने वाले वृक्षों और (निषेधित किये गये वृक्ष को बदले में) रोपित किये जाने वाले प्रत्येक वृक्ष का अथवा एच.एस.एन.ए. सक्षम अधिकारी से निषेधित अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र में उल्लिखित किया जायेगा तथा तत्परधान ऑनलाइन अभिलिखित किया जायेगा।

4-वृक्ष स्वामी, निषेधित किये गये प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का आरोपण एवं अनुसूक्षण करेगा और वृक्ष रोपित न करने की दिशा में 10 वृक्षों को रोपित किये जाने तथा 05 वर्ष तक उनका अनुसूक्षण किये जाने की धनराशि उक्त अधिनियम, सन् 1976 की धारा 5 और 7 के अनुसार वृक्ष स्वामी द्वारा वन विभाग को जमा की जायेगी। वन विभाग इस धनराशि का उपयोग वनीकरण के प्रयोजनार्थ करेगा। इससे ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करने तथा वृक्षावरण का विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी।

5-उत्तर प्रदेश वन निगम, वृक्ष स्वामी को उसकी कृषि भूमि पर अवशिष्ट वृक्षों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 24/LXXXI-5-2020-07-93, dated January 7, 2020 :

No. 24/LXXXI-5-2020-07-93

Dated Lucknow, January 7, 2020

In exercise of the powers under section 21 and 23 of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 (U.P. Act no. 45 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 4 of 1904) and in supersession of the Government notification no. 2270/XIV-5-2017-07-93, dated October 31, 2017, the Governor is pleased to prohibit felling of the following trees species:-

(I) Aam (Desi/Tukmi), (II) Neem, (III) Sal, (IV) Mahua, (V) Bijasal, (VI) Pipal, (VII) Bargad, (VIII) Gular, (IX) Pakar, (X) Arjun, (XI) Palash, (XII) Bel, (XIII) Chiranjee, (XIV) Khirnee, (XV) Kaitha, (XVI) Imli, (XVII) Jamun, (XVIII) Asna, (XIX) Kusum, (XX) Riha, (XXI) Bhilawa, (XXII) Toon, (XXIII) Salai, (XXIV) Haldu, (XXV) Bakali/Kardhai, (XXVI) Dhau, (XXVII) Khair, (XXVIII) Sheesham and (XXIX) Sagaun and exempt other species situated on individual cultivated and un-cultivated holding.

2. Prohibited tree species shall not be felled till dated 31st December, 2025 except under unavoidable circumstances such as tree is dead or dying or it constitutes danger to person or property or its felling is necessary for executing a development work approved by the Government or after attaining exploitable diameter or if the fruit bearing capacity of such tree has declined substantially and permission to fell such tree has been obtained in writing from the competent authority. For exploitable diameter, Principal Chief Conservator of Forests, Monitoring and Working Plan, Uttar Pradesh may issue guidelines from time to time, as and when required.

3. Longitude and Latitude of trees to be felled and compensatory saplings to be planted (*in lieu of* felled trees) shall be mentioned in the application from while applying for obtaining felling permission from the Competent Authority and subsequently recorded online.

4. The tree owner shall plant and maintain 10 trees in place of each tree felled and in case of not planting trees the amount of money for plantation of 10 trees and their maintenance for 5 years shall be deposited by the tree owner to the Forest Department, as per section 5 and 7 of the said Act of 1976. Forest Department will utilise this amount for afforestation purposes. This will help conserve such species and expansion of tree cover too.

5. Uttar Pradesh Forest Corporation will facilitate the tree owner for certification of standing trees on his farm land.

By order,
SUDHIR GARG,
Prमुख Sachiv.

फै०एस०यू०पी०-२०फै० 549 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1335)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

फै०एस०यू०पी०-२०फै० 1 सगो पर्यावरण-2020-(1336)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

7/2024/MO

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

विषय: वन विभाग के बिना परमीशन के अवैध कटान किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर आपको अवगत कराना है कि थाना-गोरखनाथ, सोनौली रोड, चन्द्रा पेट्रोल पम्प स्थित स्व० हामिद अली पुत्र स्व० साजिद अली जी का बागीचा है जिसमें 75 पेड़ अमरूद, 17 पेड़ आम, 3 पेड़ लीची, 1 पेड़ पंजाला व शरीफा व 16 पेड़ सागौन, एक पेड़ नारियल, व 04, बेल का पेड़, एक पेड़ चीकू व नीम व बड़ा नीबू व कटहल का तीन पेड़, शीशम 3 पेड़ हैं। जिसका गोरखपुर वन विभाग से शिकायत होने पर वन दरोगा द्वारा रोक दिया गया और उसमें 5 पेड़ का परमीशन लेकर पेड़ों की कटाई कराई गई है, जो खसरा बना हुआ है, उसमें पेड़ों की गिनती कम दर्शाया गया है। प्रार्थी यह जानना चाहता है कि वन विभाग कितने पेड़ों का परमीशन दिया है, व जितने पेड़ कटे हैं, उन्हें मिट्टी से ढंक दिया गया है। पूर्व में कई शिकायती प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है।

अतः आप श्रीमान् जी से निवेदन है कि गोरखपुर वन विभाग के डी०एफ०ओ० श्री विकास थादव जी से इसकी आख्या लेते हुए पेड़ों की गिनती करा ली जाए व दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराने की कृपा प्रदान करें।

दिनांक: 02.11.2023

प्रार्थी

मेराज अहमद

(मेराज अहमद)

सो०-9415304215

7/2024/MO

सेवा में,

माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण
भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय : अवैद्य रूप से पेड़ों को काट कर जिला गोरखपुर के वन अधिकारियों के सह पर पेड़ों को काट कर मिट्टी से ढंक देने वह मुकदमा 4 आदमी की जगह 1 आदमी पर मुकदमा ना लिखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत करा रहा हूँ कि राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दिनांक 02.11.2023 को शिकायत दर्ज कराया था। जिसका पोर्टल संख्या 4001882304313 है। जिस पर गोरखपुर के क्षेत्रिय वन मुख्यालय द्वारा लेखपाल के खसरे के आधार पर क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा 5 पेड़ हरे-भरे व फलदार पेड़ का परमिशन काटने का दे दिया गया। वह 6 पेड़ अवैद्य रूप से काटने पर उत्तर प्रदेश वन अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं 03/28 के तहत मुकदमा पंजिकृत किया गया है। परंतु आप श्रीमान् जी को बता रहा हूँ कि लेखपाल द्वारा जो खसरा बनाया गया है। जिसमें पहला खसरा में पेड़ों की गिनती कम दिखाया गया है। जब इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर दर्ज कराया गया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्व परिषद को इसकी जांच कर रिपोर्ट लगाने के लिये निर्देशित किया गया। तब लेखपाल ने दूसरा खसरा रिपोर्ट लगाया उसमें अमरूद व अन्य पेड़ों को दर्शाया गया।

यह दोनों खसरा अलग-अलग दिनांक का है। जिसमें लेखपाल व राजस्व परिषद के उच्च अधिकारियों वह गोरखपुर वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। गोरखपुर वन विभाग द्वारा जो 6 पेड़ अवैद्य रूप से कटा हुआ है। उसी के आधार पर वन विभाग ने मात्र एक व्यक्ति के ही ऊपर मुकदमा पंजिकृत किया है। खसरा में 4 फरीक हैं और इन्हीं चार फरीकों के द्वारा दिनांक 02.08.2023 को बिल्डर विकास केजरीवाल को 51-51-51 लाख रूपया लेकर पांच वर्ष के लिये कामर्शिलय बिल्डिंग वह माल बनाने के लिये एग्रिमेंट किया है। जिसमें इन चारों फरीक वह बिल्डर 50-50 के पार्टनर हैं। जिसके नाते पुरे बागिचे को काटने का कार्य करवा रहे हैं। इस सम्बन्ध में कई सारे प्रार्थना पत्र पूर्व में आप श्रीमान् जी को भेजा गया है। परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो पायी है। गोरखपुर वन विभाग गलत रिपोर्ट पर मुकदमा लिखा है। तथा जिन पेड़ों को काटा गया है। अवैद्य रूप से वह जो परमिशन दिया गया है। 5 पेड़ों का उन पेड़ों का लाइफ व कंडिशन कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गोरखपुर वन विभाग किस तरह कार्य कर रही है। तथा जो पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान पूरे

भारत में वृक्षारोपण अभियान चला कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का योजना चल रही है उसको भंग करने का कार्य गोरखपुर के वन विभाग कर रही है।

अतः आप श्रीमान् जी से अनुरोध है कि

तत्काल प्रभाव से मामले में हस्ताक्षेप करते हुये उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आदेशित करते हुये इसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से करा लिया जाए। जिससे सच्चाई सामने आ सके तथा उपरोक्त लोगों को खसरे के आधार पर बचे हुये 3 लोगों पर मुकदमा पंजिकृत करने के लिये आदेशित करने की कृपा।

दिनांक : 29.12.2023

संलग्नक छाया प्रतिलिपि:

- ✓ 1. उत्तर प्रदेश वन मंत्री उ०प्र० वन एवं पर्यावरण सरकार, लखनऊ।
- ✓ 2. प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण उ०प्र० शासन लखनऊ।

(3) 30/12 सी.आई. मालदार निवारण
९२५-१३७

प्रार्थी
मेराज अहमद उर्फ सूडू
मोहल्ला-लच्छीपुर-खास,
थाना-गोरखनाथ
तहसील-सदर
जिला-गोरखपुर
मो०नं० 9415304215

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, उप वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 579 /16-1

दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 28 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय:- गोरखपुर के वनक्षेत्र में वन अधिकारियों के मिलीभगत से पेड़ों की अवैध कटाई कर साक्ष्यों को मिटाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा, सतर्कता एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-507/16-52-1 दिनांक 17.01.2024 पर पृष्ठांकित आपका पत्रांक-1863/16एफ-16ए दिनांक 07.02.2024

महोदय,

निवेदन है कि श्री मेराज अहमद का शिकायती पत्र दिनांक 02.11.2023 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जांच हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में गोरखपुर सोनौली मार्ग पर चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास स्थित स्व0 हामिद अली पुत्र स्व0 साजिद अली के बाग में अवैध पातन के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है। चूँकि प्रकरण मुख्यालय रेंज गोरखपुर से सम्बन्धित है इसलिये प्रकरण की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय ने अपने पत्रांक-200/31-1 दिनांक 24.03.2024 द्वारा अपनी जांच आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। (प्रति संलग्न है।) अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त आख्या का परीक्षण किया गया। जांच आख्या निम्न प्रकार है:-

इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन हुआ था, जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-04/10 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है।

श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा आराजी संख्या-619 में स्थित बेल-01, सागौन-01 एवं आम-03, कुल-05 वृक्षों को कटवाने के लिए पातन परमिट हेतु आवेदन किया गया, फलदार वृक्षों के फलदायी क्षमता के सम्बन्ध में अधीक्षक, राजकीय उद्यान, गोरखपुर द्वारा जांच करायी गयी है, जांचोपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर के पत्रांक-1730/37-1 दिनांक 31.10.2023 द्वारा आवेदित 05 वृक्षों को कटवाने हेतु आन लाइन परमिट संख्या-6587240 जारी किया गया।

परमिट धारक द्वारा पातन परमिट में अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त आम-02, सागौन-02 व नीम-01, कुल-05 वृक्षों का अवैध पातन कराया गया जिसके विरुद्ध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 की धारा-4/10 एवं अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 03/28 के तहत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मुख्यालय रेंज ने रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में विभिन्न प्रजाति के 05 वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट निर्गत किया गया है एवं 06 वृक्षों के अवैध पातन पाए जाने पर विधिक कार्यवाही की गयी है। भूमि में स्थित वृक्षों की पुष्टि हेतु राजस्व

विभाग, द्वारा खसरा निर्गत किया गया है। उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी गजट, उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5-संख्या-24/81-5-2020-07-93 लखनऊ 07-जनवरी-2020 में उल्लिखित निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु भूमि स्वामी के स्तर से आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरान्त पातन परमिट जारी किया जाता है या उक्त प्रतिबन्धित प्रजाति के वृक्षों के अवैध पातन होने पर विधिक कार्यवाही की जाती है। शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु छूट प्रदान किया गया है। शिकायती पत्र में वर्णित अमरुद, लीची, पंजाला, शरीफा, नारियल, चीकू एवं कटहल प्रजाति का वृक्ष उपरोक्त शासनादेश में प्रतिबन्धित श्रेणी में अंकित नहीं है अर्थात् छूट प्रजाति का वृक्ष है। उपरोक्त शासनादेश में वर्णित प्रतिबन्धित 29 प्रजाति के अतिरिक्त निजी कृषित या अकृषित भूमि पर स्थित अन्य प्रजाति के वृक्षों को कटवाने हेतु अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि खसरा में चार फरीक है। लेकिन वन विभाग द्वारा एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि शेष तीन फरीक के नाम से मुकदमा पंजीकृत किया जाय। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि उक्त स्थल पर एक वृक्ष आम का अवैध पातन पाये जाने पर मुख्यालय रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या-04/2023-24 दिनांक 22.07.2023 पंजीकृत हुआ है। चूंकि श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली के आवेदन पर विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों को कटवाने हेतु पातन परमिट जारी किया गया है अनुमति दिये गये पांच वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के पांच वृक्षों का अवैध पातन परमिट धारक श्री महबूब सईद पुत्र हामिद अली द्वारा कराया गया। इस लिये परमिट धारक के नाम से रेंज केस संख्या-09/2023-24 दिनांक 13.11.2023 पंजीकृत किया गया है। रेंज केस जांच की प्रक्रिया में है। जांच के दौरान यदि अन्य कोई दोषी पाया जाता है तो उसका नाम केस में अभियुक्त के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

अतः जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(डा० हरेंद्र सिंह)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर।

संख्या 579 अ/दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० हरेंद्र सिंह)

उप प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर उप वन प्रभाग, गोरखपुर।

श्री १५५ - क्षेत्रीय नवाधिकारी, मुख्यालय देण वर प्रशास, गौळुण्ड
पत्रांक. २०० / ३१, दिनांक, मुख्यालय मार्च. २५ / २०२५

उप प्रशासकीय नवाधिकारी
गौळुण्ड उप नवाधिकारी

गौळुण्ड

विषय - गौळुण्ड के वर क्षेत्र के वर आधिकारियों की मिली भगत बैठकों की आदेश कर्तव्य का साक्ष्य की स्थिति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आग का पत्रांक - ५३२ / ३१ दिनांक - २०/०३/२०२५

गर्भण

विवेक है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न की गयी आग आदेश के शिकायती पत्र दिनांक - ०२/११/२०२३ के शिकायत को आप आग शिकायती पत्र के गौळुण्ड सीबीसी कार्य पलचन्द्रा वेड्डोल पत्र के साथ स्थित एवं दायित्व आली पुत्र एवं दायित्व आली के वर के उचित पाठ के सम्बन्ध में शिकायत किया गया है, इस सम्बन्ध में उल्लेख कला है कि उक्त एवं पल एक प्रथ आग का आदेश पाठ हुआ था, जिसके सिद्ध मुख्यालय देण के आग का उक्त प्रथ संलग्न आदि विषय - १९७६ की चाप - ५/१० के नए देण के व संख्या. ०५/२०२३ - २५ दिनांक - २२/०३/२०२३ पंजीकृत हुआ है।

उसी अद्वय कर्तव्य पुत्र दायित्व आली आप प्रशासक वर - गौळुण्ड शिव आपली संख्या - ६१९ के शिव बी. ७, पाठों - ७ एवं आग के कुल - ०५ प्रथों की कर्तव्य के लिए पाठ पत्रित हेतु आदेश किया गया। फलदा प्रथों के फलदा शमला के सम्बन्ध में आधी प्रथ प्रकीर्ण प्रथा, गौळुण्ड आप आंग कपी गयी है, आंग प्रथ प्रशासकीय नवाधिकारी, गौळुण्ड के पत्रांक - १७३० / ३१ दिनांक ३१/०३/२३ आप आदेशित ०५ प्रथों की कर्तव्य हेतु आग पाठ पत्रित संख्या - ६५, ८७२५० आप किया गया।

आग (२) ५

पश्चिम घातक (बी) महसुल सर्वेक्षण पुनः दायित्व डाली आपुपातन
 कृषि में अनुभवि किए गए प्रश्नों के आसिद्धि डाम-02 एमोके-
 02 व नीम-01 कुम-05 प्रश्नों का आवेध पातन कएप) रापा
 ति पके विच्छेद 0050 प्रश्न संख्या आदि डिपम-1976 की घाप-
 0410 एवं आशिवहन डिमावनी, 1978 की घाप-03/20 केनहन
 सुलपातन टैम में टैम लेख संख्या- 09/2023-24 डि नॉक-
 13/11/2023 पंजी कए किया रापा है।

उपरोक्त प्रकार में विभिन्न प्रजाति के 05 प्रश्नों को
 कटवाते हेतु पातन पश्चिम दिगंत किया रापा है एवं विभिन्न
 प्रजाति के 06 प्रश्नों का आवेध पातन पार जाते प विधिक
 कार्यवाही की रापा है, भूति में स्थित प्रश्नों के स्वामिनी
 सुधि हेतु पणस विभाग आप वसप दिगंत किया रापा है।
 0050 पकोर आप प्रकाशित सकोपी गजट, 0050 शासन परीवल
 वग एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 05, संख्या- 24/01-5-
 2020-07-93 लवगउ-07 जनवरी- 2020 में आसिद्धि विनदिप
 कृषि व आकृषित भूति प स्थित परिवान्धित- (29) प्रजाति
 के प्रश्नों को कटवाते हेतु भूति स्वामी के सार से आवेध
 प्राप्त होते प जांचोपपन्न पातन पश्चिम जापी किया जावा है।
 या उक्त परिवान्धित (29) प्रजाति के प्रश्नों का आवेध पातन
 होते प विधिक कार्य वाही की जावा है। उक्त शासन देय
 में वार्षिक परिवान्धित (29) प्रजाति के आसिद्धि विनदिप कृषि
 या आकृषित भूति प स्थित अन्य प्रजाति के प्रश्नों को कट-
 वाते हेतु दूर प्रहण किया रापा है। शिकापव कर्ता के शिकापी,
 पत्र दिनांक- 02/11/2023 में वार्षिक आगह, लीनी पंजाला, शरिका,
 नारिपत, चीकू एवं कट हल प्रजाति का प्रश्न उपरोक्त शासन देय-
 कमा: (3) प

